न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कामां (भरतपुर)

बइजलास श्री रामकिशोर मीणा R.A.S.

मुकदमा नं0. 01/19

1–असरी पत्नि दीनू

2– रूकसीना पत्नि अरसद

3– आसिया पत्नि इमरत

4– हारूनी पत्नि जुहरू जाति मेव निवासी औलन्दा तहसील कामां

– प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामा –

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR..Act

दिनांक 25.07.2019

निर्णय

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत आ0ख0नं0 206/1/1.62 हैक्ट0 वाके ओलन्दा सायलान बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त कर रहें है और मौके पर प्रार्थी गण का मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है । आराजी खसरा नम्बर 206/3.69 हैक्ट0 व प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 206/1/1.62 ग्राम ओलन्दा में है । साबिक खसरा नम्बर 206/3.69 का हाल नम्बर 357/3–69 हैक्ट0 व खसरा 206/1/1.62 का हाल खसरा नम्बर 356/1.62 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये हैं । पुराने नक्शे का लट्ठा में खसरा नम्बर 206 की तरमीम नहीं हो रही है, परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 206 की तरमीम कर दी गयी है जिसमें खसरा नम्बर 356 व 357 बनाये गये हैं । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो तरमीम खसरा नम्बर 206 की नक्शा बन्दोबस्त में की गयी है वह मुताबिक कब्जा के नहीं की गयी है प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 206/1/1.62 का हाल नम्बर 356 को नक्शा बन्दोबस्त में वातरफ दक्षिण की ओर दर्शाया गया है जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक कब्जा व तरफ उत्तर में खसरा नम्बर 206 की पूर्वी मेड से पश्चिम दिशा की ओर है । प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया है विकेता ने भी कब्जा आराजी का उत्तर दिशा की ओर ही दिया था जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 206 व 206/1 की तरमीम नक्शा बन्दोस्त में मुताबिक कब्जा मौका के अनुसार नहीं की है जो कि गलत है इसलिए उक्त साबिक तरमीम किया जाना आवश्यक है । मुताबिक कब्जा तरमीम न होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात पहुंच रहा है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि नक्शा बन्दोवस्त में आराजी खसरा नम्बर 206 व 206/1 के द्वारा बनाये गये हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

नम्बर 356 व 357 वाके ग्राम औलन्दा की तरमीम मुताबिक कब्जा व मौके के अनुसार किया जाने के आदेश फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया है । तहसीलदार कामां के पत्रांक/भू0अ0/29/1673 दिनांक 17.7.2019 के द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है कि पटवारी हल्का इन्चार्ज भू0अ0नि0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी असरी पत्नि दीनू, रूकसीना पत्नि अरसद, आसिया पत्नि इमरत हारूनी पत्नि जुहरू कौम मेव निवासी ग्राम ओलन्दा की आराजी खसरा नम्बर 206/1 रकवा 1.62 ग्राम ओलन्दा के पास स्थित है जबकि बन्दोबस्त नक्शा में उसे दक्षिण दिशा की ओर अंकित किया है । प्रार्थीया की भूमि ग्राम के पास उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण उत्तर दिशा में तरमीम किया जाना उचित है । वर्तमान में सेटलमेंट विभाग द्वारा तरमीम गलत दिशा में गई है । जबकि प्रार्थीयान का कब्जा गांव के नजदीक है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 136 के तहत किया जाना उचित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहसीलदार कामां को जबाब का मनन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । सायल अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजनुसार एव तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । प्रार्थी असरी पत्नि दीनू, रूकसीना पत्नि अरसद, आसिया पत्नि इमरत हारूनी पत्नि जुहरू कौम मेव निवासी ग्राम ओलन्दा की आराजी खसरा नम्बर 206/1 रकवा 1.62 ग्राम ओलन्दा के पास स्थित है जबकि बन्दोबस्त नक्शा में उसे दक्षिण दिशा की ओर अंकित किया है । प्रार्थीया की भूमि ग्राम के पास उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण उत्तर दिशा में तरमीम किया जाना उचित है । है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर 0 एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी असरी पत्नि दीनू, रूकसीना पत्नि अरसद, आसिया पत्नि इमरत हारूनी पत्नि जुहरू कौम मेव निवासी ग्राम ओलन्दा की आराजी खसरा नम्बर 206/1 रकवा 1.62 ग्राम ओलन्दा को बन्दोबस्त नक्शा में उसे दक्षिण दिशा की ओर अंकित किया है । प्रार्थीया की भूमि ग्राम के पास उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण उत्तर दिशा में तरमीम किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि राजस्व रिकार्ड का शुद्ध किया जाकर अमल किया जावे। । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)